

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

31/10/25
पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथमिक उपस्थित, वहीलपर
माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प-र दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार निकप व डिर्डी की पालना में नागबन्ध
सं. 1438 डिग्रेड 28.4-25 को पालना ही जा चुकी है
उक्त में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रकरण
इसी स्तर पर शेष दिया जाता है पत्रावली फल
सुमार लेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मालवाड़ा